फर्द अहकाम

इस्तगासा बनाम सरकार

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

125/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
[illegible]/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी व पैनलकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27/8/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
[illegible]/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली आदेश के विचाराधीन थी। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा वकील वादी की बहस मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 राज० काश्तकारी अधि० व सपठित धारा 131, 136 राज० भू राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सार्वजनिक रूप से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर में दर्ज हो तथा वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 125/2020	तारीख दायर 04/11/2020	तारीख फैसला 27.08.2024

हरसुखराम पुत्र रेवडमल जाति मीना निवासी बाढरसूलपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
वादी

बनाम

ज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
महेश शर्मा :— वकील वादी

दावा बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 89 आर0टी0एक्ट एवं सपठित धारा 131, 136 एल0आर0एक्ट

—: निर्णयः—

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता के वाद पत्र पेश कर निवेदन या कि ग्राम बाढरसूलपुरा पटवार हल्का लालवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि साबिक खसरा नम्बर 161 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि हाल नवीन खसरा नम्बर 231 रकबा 1. है0 अनुसार वादी सहित सह खातेदार के संयुक्त खातेदारी अनुसार स्थित है। जो कि एकीकरण साबिक खसरा नम्बर 441 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा अनुसार है। जिसके राजस्व नक्शें में कब्जे श्त व हक अधिकार तथा रकबा बरारी के विपरित त्रुटिपूर्ण तरमीम होने से आगे वादग्रस्त भूमि है। मान खसरा नम्बर 231 के राजस्व नक्शें में खातेदारी से लगभग रकबा 0.53है0 भूमि कम है तथा नरा नम्बर 234 के राजस्व नक्शें में खातेदारी से लगभग रकबा 0.53है0 भूमि अधिक है इस प्रकार वादी के खसरा नम्बर 231 की भूमि खसरा नम्बर 230 के नक्शें में एवं खसरा नम्बर 230 की भूमि नरा नम्बर 234 के नक्शें मे शामिल होकर रकबा बरारी के विपरित त्रुटिपूर्ण तरमीम है। दौराने भूमि कोकरण व सैटलमेंट कार्यवाही में राजस्व विभागीय अधिकारीयों द्वारा लिपिकीय त्रुटि व भूल करते वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 1.38है0 एवं साबिक सरा नम्बर 161 तथा साबिक पूर्व खसरा नम्बर 441 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा के रकबा बरारी के न्न तरमीम कर दिया गया, जिससे विवादित भूमि में रकबा 0.5300है0 भूमि कम होकर वर्तमान सरा नम्बर 230 के राजस्व नक्शें मे शामिल होकर तरमीम है। वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 1 के खातेदारी रकबा बरारी के लिए खसरा नम्बर 231 के उत्तर दिशा में एवं खसरा नम्बर 230 पश्चिमी दिशा में लगभग रकबा 0.53है0 भूमि को खसरा नम्बर 231 के राजस्व नक्शे में शामिल र तरमीम कर राजस्व नक्शें मे कमी पूर्ति होती है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 230 के खातेदारी कबा बरारी के लिए खसरा नम्बर 230 के उत्तर पूर्व में एवं खसरा नम्बर 234 के दक्षिण में लगभग कबा 0.53है0 भूमि को खसरा नम्बर 230 के राजस्व नक्शें में शामिल कर तरमीम करने से राजस्व क्शें मे कमीपूर्ति होती है, जिसके अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शों में रकबा बरारी अनुसार तरमीम ायम करना चाहिए था, जो कि राजस्व विभाग की लिपिकीये त्रुटि व भूल रही है। अतः ग्राम बाढ सूलपुरा में हाल खसरा नम्बर 230 में पश्चिमी भाग की भूमि को शामिल कर खसरा नम्बर 231 कबा 1.38है0 के रकबा बरारी अनुसार तरमीम करने की घोषणा की जावें एवं खसरा नम्बर 234 के क्षिणी भाग की भूमि को शामिल कर खसरा नम्बर 230 के रकबा बरारी अनुसार तरमीम करने एवं दानुसार विवादित खसरा नम्बर 231, 230, 234 के राजस्व नक्शों में रकबा बरारी अनुसार रूस्तीकरण करने के आदेश दिया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला—जयपुर

(५२)

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी का तलबी जारी की गई। प्रतिवादी (पैरोकार रकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024/183 दिनांक 06.03.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वादांकित तथ्य रिकार्डानुसार सत्य है। खसरा नम्बर 230 व 231 एनएचएआई से भावित है। खसरा नम्बर 230, 231 व 234 की रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 231 का रकबा 48है0 कम है जो खसरा नम्बर 230 मे समाहित है तथा 230 का जो रकबा कम है वह खसरा म्बर 234 में समाहित होता है क्योकि खसरा नम्बर 234 का रकबा लगभग 0.48है0 अधिक है जो क भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि है। जमाबन्दी अनुसार रकबा बरारी व नक्शें की कबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 230, 231, 234 परस्पर विरोधाभासी है। इस प्रकार एकीकरण 018 सेटलमेंट संवत 2008 तथा हाल सैटलमेंट सन 2008 नक्शों की परस्पर रकबा बरारी कर लना करने पर निष्कर्ष यह होगा कि जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार खसरा नम्बर 230, 231, व 4 में संलग्न नक्शानुसार दुरूस्ती किया जाना उचित होगा। जिसे संलग्न नजरी नक्शें में लाल ाही की खण्डित रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध वादी के वाद , प्रतिवादी जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर व वकील वादी की बहस मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं ठित धारा 131, 136 राज0 भूराजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को देश दिया जाता है कि ग्राम बाढरसूलपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि में सरा नम्बर 231, 230, 234 की जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार मुताबिक नजरी नक्शें रकबा बरारी राजस्व नक्शों में मुताबिक संलग्न नजरी नक्शें को मध्य नजर रखते हुए तरमीम दुरूस्तीकरण की षणा की जाती है। तदानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 231, 230, 234 के वर्तमान राजस्व नक्शों को स्त किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार र नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय मे या।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

(ललित मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ